

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

**ii स्वीकृत्यादेश ii**

संख्या-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-  
सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

**विषय:-**मधेपुरा जिला में एक यूनिट B टाईप District Emergency Response Facility-  
cum-Training Centre की स्थापना के निमित्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के  
पूँजीगत मद से आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के  
द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि रु० 7,48,87,000.00 (सात करोड़  
अड़तालीस लाख सतासी हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

2. मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक GM(HQ) 1317/22/1070 (अनु०) दिनांक-24.03.2022 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
3. उक्त संरचना का निर्माण मधेपुरा जिलान्तर्गत मौजा-मधुबन, थाना सं०-63, खाता सं०-960 खेसरा सं०-3727, रकवा-01.00 एकड़ की भूमि पर किया जाएगा।
4. इस हेतु राशि का व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101-प्राकृतिक आपदाएं, मांग संख्या-39, उपशीर्ष-0003-जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्र, विपत्र कोड-39-4250001010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक स्वीकृत उपबंध से होगा।
5. प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि इसकी वैधता वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक होगी एवं योजना हेतु प्रस्तावित अनुमोदित प्राक्कलन में किसी तरह की वृद्धि नहीं की जाएगी।
6. इस योजना का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा।
7. आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा यह राशि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवंटित की जाएगी।
8. इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जाएगी।
9. इसमें आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
(अविनाश कुमार)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01/प्रा०आ०(योजना)-06/2022(खण्ड)/...../आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-  
**प्रतिलिपि:-**सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास  
विभाग/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
संयुक्त सचिव


ज्ञापांक:-01 / प्रा०आ०(योजना)-06 / 2022(खण्ड) / ..... / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-  
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/समादेष्टा, एस०डी०आर०एफ०, बिहटा, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा०आ०(योजना)-06 / 2022(खण्ड) / ..... / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-  
प्रतिलिपि:-बजट शाखा, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-01 / प्रा०आ०(योजना)-06 / 2022(खण्ड) / 373 / आ०प्र० पटना-23, दिनांक-09.02.2026  
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त सचिव